रघुवर दास
Raghubar Das

झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री
झारखण्ड सरकार
Chief Minister
Govt. of Jharkhand

अ.शा.पत्र संख्या 3900145
दिनांक 8.3.2018

प्रिय श्री सरयू राय जी,

आपका पत्रांक आ०का०/27/18, दिनांक 08 फरवरी, 2018 प्राप्त हुआ जिसके द्वारा सारंडा आरक्षित वन प्रमण्डल में "गुआ–सलाई रोड" के संबंध में कतिपय पृच्छाएँ की गई है।

उक्त पत्र संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

भवदीय

(रघुवर दास)

सेवा में,

श्री सरयू राय,
माननीय मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
1, ए०जी०मोड़, डोरण्डा,
राँची–834002

3, काँके रोड, राँची–834008/ 3, Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233 एवं 2280717, 2400232 (Fax/फैक्स)
e-mail- cmjharkhand.rnc@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक - अ.का./21/18

दिनांक - 3/2/2018

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार।

कृपया निम्नांकित निवेदन पर गौर करेंगे :–

सारंडा आरक्षित वन प्रमंडल में 'गुआ–सलाई रोड़' पर नाम मात्र का यातायात है. मुश्किल से दो–एक बसें, आधा दर्जन चार पहिया और डेढ़–दो दर्जन दोपहिया वाहन दिन भर में इस सड़क पर गुजरते हैं. पर 2015 में राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने एक फर्जी सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाया कि इस सड़क पर यातायात का भारी दबाव है. इसलिये इसे चौड़ा करना जरूरी है. यह सड़क सारंडा वन क्षेत्र में है. पथ निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ा करने के लिये सारंडा के प्रमंडल वन पदाधिकारी से एक अनुमति पत्र ले लिया जिसमें कई शर्तें थी. एक शर्त थी कि ३.५० मीटर चौड़ी इस सड़क को ७ मीटर तक ही चौड़ा किया जा सकता है. हालाँकि डी.एफ.ओ. को ऐसा पत्र देने का अधिकार नहीं है.

इसकी आड़ में पथ निर्माण विभाग ने करीब २६ किलोमीटर लंबी 'गुआ–सलाई रोड' के करीब ६ किलोमीटर लम्बाई में सड़क किनारे १० से १२ मीटर की चौड़ाई तक वृक्षों एवं पहाड़ियों को काट डाला. इसके लिये वन एवं पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई. ७ मीटर तक ही सड़क चौड़ा करने की डी.एफ.ओ. की शर्त का भी उल्लंघन किया और वन एवं पर्यावरण के कानूनों का भी. इस अनियमितता की ओर मैंने दिसंबर २०१५ मे सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था. अब पथ निर्माण विभाग ने इस सड़क को २५ मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भेजा है. प्रश्न उठता है कि :–

1. ३.५० मीटर चौड़ी गुआ–सलाई रोड, जिस पर नगण्य यातायात है और जो सारंडा सघन वन से गुजरती है, को २५ मीटर चौड़ा करने की जिद पर पथ निर्माण विभाग क्यों अड़ा हुआ है?

2. इस पर भारी यातायात साबित करने के लिये 'नुइया' नामक स्थान पर फर्जी यातायात सर्वेक्षण कराने वालों के खिलाफ विगत दो वर्ष में कोई कारवाई क्यों नहीं हुई?

3. इस सड़क निर्माण का डीपीआर तैयार करने वाले, डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति देने वाले और प्रशासनिक स्वीकृति के लिये कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कारवाई क्यों नहीं हुई? जबकि मैंने दिसंबर २०१५ में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था.

सड़क निर्माण के विरूद्ध एक वन्यजीव विशेषज्ञ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में मुकदमा दायर किया. ८ नवम्बर २०१६ को ट्रिब्युनल ने सड़क निर्माण पर रोक लगा दिया जो आजतक

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची। आवास : 1, एजी. मोड़ डोरण्डा, रांची।
दूरभाष : 0651-2482455, फैक्स : 0651-2401023, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

जारी है. ६ दिसंबर २०१६ को सड़क बना रही ठेकेदार कम्पनी 'राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन' ने ट्रिब्युनल के सामने हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा कि सड़क निर्माण के लिये किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सड़क रोक क्षेत्र में नहीं है. इसलिये उसे सड़क बनाने दिया जाय. ट्रिब्युनल ने हस्तक्षेप याचिका स्वीकार कर उसे प्रतिवादी –६ बना दिया पर उसे कोई राहत नहीं दिया और कहा कि इसके लिये आप पी.सी.सी.एफ. के पास जाइये. १६ फरवरी २०१७ को पुनः ठेकेदार ने ट्रिब्युनल से आग्रह किया कि उसे सड़क निर्माण करने दिया जाय, पर ट्रिब्युनल ने इंकार कर दिया.

सुनवाई के दौरान दिनांक २८.२.२०१७ को ट्रिब्युनल ने लिखित आदेश पारित किया कि प्रतिवादी संख्या – १ से ४ (तत्कालीन पथ निर्माण सचिव, वन सचिव, पी.सी.सी.एफ. और मुख्य सचिव) के इरादे इमानदार नहीं हैं और प्रतिवादी संख्या–६ (ठेकेदार) इस बेईमानी में शामिल है. उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थिति घिनौना स्थिति का द्योतक है और झारखंड में वस्तुस्थिति ठीक नहीं प्रतीत हो रही है. (Respondent no- 1 to 4 have not been honest in their approach and Respondent no- 6] contractor] is party to such dishonesty---- The above fact and circumstances reflect sordid state of affairs and things do not appear to be right in the state of Jharkhand)

इस बीच पथ निर्माण सचिव राज्य की मुख्य सचिव हो गईं. उन्होंने आदेश किया कि इस मुकदमे में ट्रिब्युनल के समक्ष राज्य की ओर से प्रतिशपथ पत्र पथ निर्माण विभाग दायर करेगा, न कि वन विभाग जो नोडल विभाग है. यह शपथ पत्र ६.१२.२०१६ को दायर हुआ. बाद में ११.५.२०१७ को वन विभाग को अलग शपथ पत्र देने के लिये विवश होना पड़ा. ट्रिब्युनल ने कहा कि पहले दायर किये गये और बाद में दायर हुये शपथ पत्र में व्यापक विरोधाभास है. बाद में दायर शपथ पत्र में स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी –१ यानी पथ निर्माण विभाग ने नियमों का उलंघन किया है. ट्रिब्युनल ने आदेश कियां कि दोषी अधिकारियों पर कारवाई की जाय. स्पष्ट हो गया है कि प्रतिवादी– १ (तत्कालीन सचिव पथ निर्माण) ने उलंघन किया है. प्रतिवादी– ४ (मुख्य सचिव) को आदेश किया कि वे इस मामले में दोषी पदाधिकारियों पर प्रशासनिक कारवाई करें और संबंधित नियमों का पालन करें. स्पष्ट हो गया है कि तत्कालीन पथ निर्माण सचिव (वर्तमान मुख्य सचिव) ने नियमों का उलंघन किया है और वन विभाग ने रोका नहीं है. उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में प्रतिवादी–1 और प्रतिवादी–4 एक ही व्यक्ति है. (He conceded infraction committed by Respondent no.1. We accordingly direct Respondent no- 1 and 4 to consider instituting disciplinary proceedings against the officers involved in the case-)

१६ जुलाई २०१७ को अपने आदेश में ट्रिब्युनल ने दुहराया, कि हमने ११.५.२०१७ को प्रतिवादी १ और ४ को उलंघन के लिये दोषी अधिकारियों पर कारवाई करने का आदेश दिया था. पर इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला. (By order 11-5-2017 We directed Respondent 1 & 4 to constitute appropriate proceeding against erring officials for the infraction committed by them but nothing has been placed before us on that account)

२१.११.२०१७ के आदेश में ट्रिब्युनल ने कहा है कि प्रतिवादी –२ और ३ (पी.सी.सी.एफ. और प्रधान सचिव, वन) ने वन पर्यावरण स्वीकृति लेने में विलंब का कारण बताया है जिसके अनुसार इसके लिये वे नहीं बल्कि प्रतिवादी –१ और ४ (पथ निर्माण सचिव और मुख्य सचिव) की उपेक्षा जिम्मेदार है. (Respondent 2&3 gave cause of delay to send details to

Scanned with OKEN Scanner

MoEF from time to time- The delay has not solely on their account but was due to contributory negligence on the part of Respondent 1&4-)

इसके पूर्व ३१.१०.२०१७ के आदेश में ट्रिब्युनल ने कहा था कि बार-बार कहा जा रहा है कि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रगति पर है पर हमें इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है. राज्य इसकी जानकारी दे. इस कारण परियोजना की लागत में होनेवाली वृद्धि को दोषी अधिकारियों से वसूला जाय. यह जवाब आजतक नहीं दिया गया.

प्रश्न उठता है कि :-

1. मुख्य सचिव ने यह आदेश क्यों दिया कि ट्रिब्युनल के समक्ष प्रतिशपथ पत्र पथ निर्माण विभाग दायर करेगा जबकि ऐसे मामले में नोडल विभाग वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है?
2. जब नोडल विभाग ने अलग शपथ पत्र दिया तो माना कि पथ निर्माण विभाग ने नियमों का उलंघन कर निर्माण किया है. क्या मुख्य सचिव प्रति शपथपत्र में तथ्य छुपाकर अपने पूर्व के विभाग के दोषी अधिकारियों का और इस विभाग का सचिव रहने के नाते स्वयं का बचाव कर रही है?
3. जब मैंने दिसंबर २०१५ में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया और तदनुरूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव ने सड़क चौड़ीकरण कार्य रोकने का निर्देश दिया तब दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दो वर्ष से अधिक समय तक कारवाई क्यों रूकी रही ?
4. जब ट्रिब्युनल ने कई तारीखों पर दोषियों के विरूद्ध कारवाई करने का स्पष्ट आदेश दिया तो भी कारवाई क्यों नहीं हुई? जबकि शपथ पत्र पर उन्हें बताया जाता रहा कि कार्रवाई प्रगति पर है.
5. 'गुआ-सलाई पथ' पर भारी यातायात दिखाने के लिये फर्जी यातायात सर्वेक्षण करने वालों ने यह फर्जीवाड़ा किसके आदेश पर किया और सर्वेक्षण का ऐसा फर्जीवाड़ा करने वालों तथा ऐसा करने का आदेश देने वाले अधिकारियों पर जालसाजी का मुकदमा अबतक दायर क्यों नहीं हुआ? विगत दो वर्ष से अधिक समय से इन्हें कौन बचा रहा है?
6. क्या सचिव, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को इस कानून का पता नहीं था कि वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिये वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति अनिवार्य होती है?
7. वन क्षेत्रों में बिना वन एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये कितनी सड़कों और अन्य परियोजनाओं का निर्माण किया गया है? मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसे आधा दर्जन निर्माण सारंडा, कोल्हान, चाईबासा वन प्रमंडलों में हुये हैं जिनमें नियम-कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और वन-पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गयी है.
8. ट्रिब्युनल के समक्ष ठेकेदार कम्पनी द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर करने का क्या औचित्य है? क्या ट्रिब्युनल के समक्ष दायर ऐसी याचिका के औचित्य के सवाल पर सरकार के विभागों ने इसका विरोध किया था? या स्वयं किसी सरकारी विभाग ने ही

ठेकेदार कम्पनी को इसके लिये प्रोत्साहित किया था ताकि अपने बचाव के लिये नियम विरुद्ध तर्क ट्रिब्युनल के समक्ष अपने चहेते ठेकेदार के मुँह से रखवाया जाय?

9. क्या वन–पर्यावरण नियमों का उलंघन कर ६ किलोमीटर तक वृक्षों एवं पहाड़ियों की कटाई के कारण सारंडा क्षेत्र में हुये वन और पर्यावरण के नुकसान का तथा इस पर हुये निष्फल व्यय का आकलन पथ निर्माण विभाग ने किया है? इस वित्तीय क्षति की भरपाई कौन करेगा, सरकार या ठेकेदार?

10. अब पथ निर्माण विभाग ने इस सड़क को २५ मीटर तक चौड़ा करने की वन एवं पर्यावरण अनुमति केन्द्र सरकार से माँगने का आवेदन सक्षम प्राधिकरण को भेजा है. इसका आधार क्या है और इसके लिये राज्य सरकार में किस स्तर से आदेश प्राप्त है?

11. विगत दो वर्ष से अधिक समय से 'गुला–सलाई पथ' के 9 मीटर तक वृक्षों एवं पहाड़ों के काटे जाने से सड़क यातायात सार्थक नहीं रह गई है. इस कारण ग्रामीणों को हो रही आवागमन में कठिनाई के लिये कौन जिम्मेदार है?

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में मुख्य सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुये विधिसम्मत कारवाई करने की कृपा जनहित एवं राज्य हित में करेंगे.

सधन्यवाद,

भवदीय

सरयू राय